(b) if so, what was the nature of the dispute ;

(c) how the dispute was settled ; and

(d) what steps have been taken to improve the working of the Museum ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EDUCATION AND YOUTH SERVICES (SHRI BHAKT DARSHAN) : (a) The galleries of the Indian Musem at Calcutta were kept closed by the Class IV Watch & Ward staff from the noon of the 29th May, 1970 to the 22nd June, 1970.

(b) The allegation was that a class IV employee had been assaulted.

(c) The employees concerned lifted the closure un-conditionally from the 23rd June, 1970.

(d) The Board of Trustees are proposing to appoint a retired/serving High Court Judge to hold an enquiry into the said allegation of the Class IV Watch & Ward staff and other allegations and to suggest measures, so as to ensure the smooth and un-interrupted working of the Museum in future.

चण्डीगढ़ में भारतीय साम्यवादी दल (मार्क्सवादी) के नेताओं को सैनिक प्रशिक्षण दिया जाना

1882. **श्री जगन्नाथ राव जोशी :**
श्री शारदा नन्द :
श्री शिव कुमार शास्त्री :
श्री ओम प्रकाश त्यागी :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री यशवन्त सिंह कुशवाह :
श्री भारत सिंह चौहान :
श्री राम गोपाल शालवाले :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तमिलनाडु के मुख्य मंत्री ने 23 जनवरी 1970 को राज्य विधान सभा से कहा था कि भारतीय साम्यवादी दल (मार्क्सवादी) के कुछ नेताओं को चण्डीगढ़ में सेना की तरह का प्रशिक्षण दिया जा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) तमिल नाडु सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार तमिलनाडु के मुख्य मन्त्री ने 23 जनवरी, 1970 को राज्य विधान सभा में अपने वक्तव्य में देश के विभिन्न भागों से भारतीय साम्यवादी दल के कुछ स्वयं सेवकों द्वारा चण्डीगढ़ प्रशिक्षण शिविर में भाग लिये जाने का उल्लेख किया था। उन्होंने भारतीय साम्यवादी दल (मार्क्सवादी) का कोई उल्लेख नहीं किया था।

(ख) जब कि किसी राजनैतिक दल द्वारा वैध प्रयोजनों के लिए अपने स्वयं सेवक रखने पर कोई आपत्ति नहीं हो सकती है, पर सरकार किसी स्वयं सेवी संस्था की ऐसी गतिविधियों को, जिससे असुरक्षा अथवा असामंजस्य अथवा अराजकता की भावना उत्पन्न होती है, चिन्ता की दृष्टि से देखती है। ऐसी गतिविधियों पर सावधानी से निगरानी रखी जाती है।

उन व्यक्तियों की गतिविधियों के विरुद्ध, जो कोई हथियार अथवा गोलाबारूद किसी अवैध प्रयोजन के लिए, उनको प्रयोग करने के आशय से रखते हैं, चाहे ऐसे अवैध प्रयोजन को पूरा किया गया हो अथवा नहीं, शस्त्र अधिनियम, 1959 की धारा 27 के अधीन कार्यवाही की जा सकती है।

सितम्बर, 1968 की हड़ताल में भाग लेने वाले मध्य प्रदेश में काम कर रहे केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के विरुद्ध मुकदमा

1883. **श्री जगन्नाथ राव जोशी :**
श्री शारदा नन्द :

श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री राम गोपाल शालवाले :
श्री हुकम चन्द कछवाय :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में केन्द्रीय सरकार के ऐसे कितने कर्मचारी हैं जिनके विरुद्ध सितम्बर, 1968 की हड़ताल में भाग लेने के लिये इस समय मुकदमा चलाया जा रहा है ;

(ख) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश में केन्द्रीय सरकार के अनेक कर्मचारियों के विरुद्ध अभी भी मुकद्दमा चलाया जा रहा है, हालांकि केन्द्रीय सरकार ने मुकद्दमें वापस लेने के लिये परिपत्र जारी कर दिया है ; और

(ग) यदि हां, तो ऐसे कर्मचारियों की संख्या कितनी है और सरकार का इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) मध्य प्रदेश से प्राप्त सूचना के अनुसार 31 जनवरी, 1970 को केन्द्रीय सरकार के 307 कर्मचारियों पर सितम्बर, 1968 की हड़ताल में भाग लेने के लिये मुकद्दमा चलाया जा रहा था।

(ख) केन्द्रीय सरकार द्वारा मुकदमों को आमतौर पर वापस लेने के लिये कोई परिपत्र जारी नहीं किया गया है। फिर भी, राज्य सरकारों को विचाराधीन मुकद्दमों की संवीक्षा करने की सलाह दी गई है ताकि उन मुकदमों की विधिनुसार कार्यवाही समाप्त करने के कदम उठाये जा सकें जिनमें पर्याप्त साक्ष्य नहीं है।

(ग) उत्तर के उक्त भाग (ख) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

पश्चिम बंगाल में पाकिस्तान तथा चीन के गुप्तचरों की गिरफ्तारी

1884. श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री जगन्नाथ राव जोशी :
श्री शारदा नन्द :
श्री वंश नारायण सिंह :
श्री हुकम चन्द कछवाय :

क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जून, 1970 में पश्चिम बंगाल में भारतीय प्रदेश में दाखिल होते समय पाकिस्तान और चीन के कुछ गुप्तचर गिरफ्तार किये गये थे ; और

(ख) यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है और उनके विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) और (ख). राज्य सरकार ने सूचित किया है कि दो चीनी राष्ट्रिकों, जिनका कलकत्ता में पंजीकरण किया गया था, एक पाकिस्तानी राष्ट्रिक, जो पूर्वी पाकिस्तान को लौट रहा था तथा एक भारतीय राष्ट्रिक को 9-6-70 को, जब वे 24—परगना के हस्नाबाद घाट के रास्ते पूर्वी पाकिस्तान को जाने के लिए सीमा पार कर रहे थे, गिरफ्तार कर लिया गया क्यों कि उनके पास कोई वैध यात्रा दस्तावेज नहीं थे। उन सभी पर विदेशियों के लिए अधिनियम की धारा 13/14 के अधीन मुकदमा चल रहा है।

साम्प्रदायिक दंगों के समय बरामद किये गये बम, हथियार और गोला-बारूद

1885. श्री जगन्नाथ राव जोशी :
श्री शारदा नन्द :
श्री शिव कुमार शास्त्री :
श्री ओम प्रकाश त्यागी :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री यशवन्त सिंह कुशवाह :